प्राक्कथन

1. यह प्रतिवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 2 में 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के क्रमशः वित्त लेखे और विनियोग लेखे की जाँच में पाई गई लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ शामिल हैं। आवश्यकता अनुसार सूचनाएँ झारखण्ड सरकार से भी प्राप्त की गई है।

3. अध्याय 3 में तीन चयनित विभागों के संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के अनुपालन लेखापरीक्षा के परिणाम समाहित है।

4. अध्याय 4 वित्तीय प्रतिवेदन वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों के अनुपालन की स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।